



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 No. 25 of 2009)

क्रमांक : 1302/अका./2011

बिलासपुर, दिनांक - 25/7/2011

::परिपत्र::

Registered Post

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के आदेश No. WRC/APW03697/223037/139th/2009/70382 Date: 28.08.2010 एवं विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 11.06.2011 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कोरबा सिटी कॉलेज, कोरबा जिला कोरबा द्वारा शिक्षा संकाय के अंतर्गत संचालित बी.एड.पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता सत्र 2011-12 समाप्त की जाती है।

आदेशानुसार,

Ando K. K. Verma
कुलसचिव(कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक - 25/7/11

पृ.क्रमांक : 1303/अका./2011

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. शिक्षा सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।
3. आयुक्त/संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास.विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल एवं संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) ।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / संचालक (म.विप.) / परीक्षा नियंत्रक / सहायक कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय / भंडार) / वित्त ।
6. अध्यक्ष, शासी निकाय, कोरबा सिटी कॉलेज, टी.पी.नगर, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) ।
7. कुलपति / उपकुलपति / कुलसचिव के निज सचिव / शीघ्रलेखक / निज सहायक ।

Ando K. K. Verma
25/7/11
उप-कुलसचिव (अका.)